भारतीय सं वधान में महिलाओं के लए दिए गये प्रावधानों का अध्ययन

प्रा. कु. व्हि. एम. दे वकर
गृह अर्थशास्त्र वभाग प्रमुख
कला वा णज्य महिला महा वद्यालय, बल्लारपूर

प्रस्तावना:

महिला के सशक्तीकरण एवं उसके स्वतंत्र अस्तित्व को चुनौती की प्र क्रया सर्वप्रथम घर से ही प्रारंभ होती है। महिला को अगर कोख से कब्र तक हिंसा सहनी पड़े तो वह नागरिक अ धकार से वं चत होती है। उसका स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त होने लगता है। कहने को तो महिला व पुरूष एक ही गाड़ी की धुरी है मगर वास्त वकता इससे काफी दूर है। अगर हम गर्भावस्था से ही बात करें तो वहीं से नारी के साथ अन्याय की कहानी शुरू हो जाती है, अगर गर्भस्थ भ्रूण मादा है तो उसके भ्रूण को अजन्मे मादा शशु को इस दुनिया में अपनी आंखे खोलने से पहले ही आंखें बन्द कर लेनी पड़ती है। उसकी सस कयां उसकी मां भी सुनती है, मगर पुरूष प्रधान समाज की मान सकता व पुरूष के वर्चस्व के आगे वह हार जाती है। अंततः महिला की मान सकता भी वैसी ही बन जाती है जैसा क पुरूष चाहता है।

वकासशील एवं तीसरी दुनिया के देशों में महिलाओं के साथ अ धक अत्याचार व उनके अ धकारों का हनन होता है। कानूनी उपायों के बगैर महिलाएं उन आ र्थक और सामाजिक बुराइयों के चंगुल से नहीं बच सकती जो उनके जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। वकासशील देशों में अ धकांश महिलाएं काश्तकार, खेतीहर, मजदूर, कारीगर या गृहिणी का काम करती है, उनका आ र्थक दृष्टि से निम्न स्तर होता है। समाज में होने वाले अत्याचारों, अपराधों का सामना भी इन्हीं महिलाओं को करना पड़ता है। बलात्कार, दहेज हत्या, शराब पीकर पतियों द्वारा मारपीट व साम्प्रदायिक दंगों में भी महिलाओं को ही सर्वा धक झेलना पड़ता है। अनेक बार महिलाओं के वरूद्ध हिंसा को बढ़ाने में जनसंचार माध्यमों की अप्रत्यक्ष भू मका निहित रहती है।

भारत में ग्रामीण महिलाओं की वास्त वक स्थिति या बदहाली से लगाया जा सकता है, जहां पर महिला को अपहरण, बलात्कार, हत्या, बेरोजगारी, गैर बराबरी जैसे अनेक मुद्दों व समस्याओं से जूझना पड़ता है। धर्म एवं परम्परा का सहारा लेकर भी महिलाओं के साथ भेदभाव व शोषण कया जाता है। महिला पहचान की अ भव्यक्ति को अब भी पाषाण युग की दृष्टि से देखा जाता है और उसे कामुकता की अ भव्यक्ति मान लया जाता है। महिलाओं का उत्पीड़न, दमन व तिरस्कार महिलाओं का उत्पीड़न, अपमान, शोषण, दमन, तिरस्कार एवं यंत्रणा उतना ही प्राचीन है, जितना क पारिवारिक जीवन का इतिहास।

वर्तमान में महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा का एक कारण महिलाओं की प्रस्थिति का निम्नतर माना जाना भी रहा है। इस लये लैं गक समानता महिला सशक्तीकरण का आधार है। वर्तमान में व भन्न महिला संगठन, महिला आन्दोलन, नारीवादी वचारक तथा राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय स्तर पर अनेक संगठन स्त्री की स्वतंत्रता, समानता, अस्मिता, न्याय और गरिमा की स्थापना के लये प्रयत्नशील है। कन्तु अथक प्रयासों तथा उपायों के बावजूद लैं गक असमानता आज भी वद्यमान है। इस शोधपत्र का उद्देश समाज में इसे रोकने व महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लये क्या-क्या उपाय कये गये हैं इस बारे में जानकारी प्राप्त करना है एवं भारतीय सं वधान में महिलाओं के लए दिए गये प्रावधानों का अध्ययन करना है।

अनुसंधान निबंध के लए प्रयुक्त अनुसंधान व ध:

वर्तमान शोध प्रबंध के लए उपयोग की जाने वाली जानकारी और तथ्यों को वषय से संबं धत व भन्न पुस्तकों, पत्रिकाओं, लेखों, समाचार पत्रों से संक लत कया गया है।

अनुसंधान के उद्देश्य:

प्रस्तुत शोध के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं।

1) भारतीय सं वधान में महिलाओं के लए दिए गये प्रावधानों का अध्ययन करना।
2) भारतीय समाज में महिला हिंसा उत्पन्न होने के मूल कारण कौन-कौन से हैं इसका का अध्ययन करना।
3) भारत में महिलाओं के प्रति की जाने वाली हिंसा की प्रकृति के अवधारणात्मक पक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करना।
4) समाज में इसे रोकने व महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लये क्या-क्या उपाय कये गये हैं इस बारे में जानकारी प्राप्त करना।
5) अनुसंधान से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर महिलाओं के वकास हेतु उपाय सुझाना।

भारतीय सं वधान में महिलाओं के लए दिए गये प्रावधान:

महिलाओं को उनके अ धकारों से वं चत करने का इतिहास बहुत पुराना है। वास्तव में, भारतीय महिलाएं राष्ट्र निर्माण में अद् वतीय भू मका निभाती हैं। हालां क भारतीय संस्कृति महिलाओं के ब लदान पर आधारित है, ले कन वे हर क्षेत्र में असमानता का सामना करती हैं। भारतीय सं वधान द्वारा 26 नवंबर, 1949 को भारतीय महिलाओं को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सद्धांत पेश कए गए थे। वश्व स्तर पर, पहली बार 1948 में, श्रीमती एलेनोर रूजवेल्ट ने चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स की घोषणा करके, लैं गक समानता की शुरुआत को चह्नित कया। भारत के राज्य के सं वधान ने लैं गक समानता के लए प्रतिबद्धता व्यक्त करके कानून में समानता और स्वतंत्रता को सुनिश्चित कया। पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं को व भन्न क्षेत्रों में समान अवसर और स्थिति प्राप्त करने के लए वशेष वशेषा धकार दिए गए हैं। भारतीय राज्य के सं वधान के अ धनियमन के बाद, संसद ने ववाह, वलेख और वरासत से संबं धत कई कानून बनाए और इन कानूनों ने महिलाओं की स्थिति में क्रांति ला दी और महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जा देने की मांग की है। यद्य प सामाजिक और आ थक समानता की अवधारणा अन्य कानूनों द्वारा पेश की जाती है, ले कन महिलाओं के कल्याण के लए कानूनों का मुख्य आधार भारतीय सं वधान द्वारा पेश की गई स्वतंत्रता और समानता है।

उद्देशपत्रिका और महिला:

भारत के सं वधान के उद्देशपत्रिका में सं वधान के मूल उद्देश्य और उपलब्धियाँ शा मल हैं। "भारतीय नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आ थक और राजनीतिक, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व अवसरों की गारंटी दी जाती है।"

सं वधान में उपरोक्त उद्देश्यों को शा मल करने का हेतु महिलाओं को पुरुषों के समान अ धकार और दर्जा देना है। हम भारत के लोग हैं। अगर हम इस बारे में गहराई से सोचते हैं, तो हम समझ सकते हैं क भारतीय महिलाओं को भारतीय सं वधान ने कतना महत्वपूर्ण अवसर दिया है। भारतीय सं वधान के उद्देश्य समान अवसर, समान उपचार और महिलाओं के लए समान स्थिति प्रदान करते हैं। उद्देशपत्रिका में सामाजिक, आ थक और राजनीतिक तीन प्रकार के न्याय का उल्लेख कया गया है। महिलाओं के लए सामाजिक न्याय एक समाजवादी समाज द्वारा दिया गया था। अतीत में, महिलाओं को अपने पता, पति और बच्चों पर आ थक रूप से निर्भर होना पड़ता था, ले कन समान काम, रोजगार के अवसरों और आजी वका के पर्याप्त साधनों के लए समान वेतन प्रदान करने के लए सं वधान द्वारा प्रदान कए गए अवसर के कारण महिलाओं को आ थक न्याय मला है। भारत के सं वधान ने महिलाओं को राजनीति में भाग लेने के लए स्वतंत्र और निष्पक्ष अवसर दिया और उन्हें मतदान का अ धकार दिया है। महिलाओं को वचार और अ भव्यक्ति की स्वतंत्रता की अ धकार है। साथ ही, महिलाओं को हर क्षेत्र में पुरुषों के समान दर्जा दिया जाता है। शक्षा के क्षेत्र में और नौकरियों में समान अवसर दिए जाते हैं। भारतीय सं वधान महिलाओं की गरिमा की रक्षा करता है।

सं वधान में निहित उपरोक्त उद्देश्य का उपयोग आधुनिक हिंदू कानून जैसे कानून बनाने के लए कया जाता है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को समान अ धकार और दर्जा देना है। यह इसके लए मुख्य आधार है।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा हिंदू वरासत अ धनियम में 22-6-1994 को जन्म के समय पैतृक संपत्ति में महिलाओं को वरासत का अ धकार देने का प्रावधान महिला अ धनियम द्वारा कए गए प्रावधान का संकेत है।

मौ लक अ धकार और महिलाएं:

राज्य की स्थिति यह निर्धारित करती है क वह अपने नागरिकों को कतने अ धकार प्रदान करता है। जिस राज्य में अपने नागरिकों के अ धकारों की समु चत व्यवस्था नहीं है, उस राज्य का भवन रेत की नींव पर बनाया गया है। भारतीय राज्य सं वधान के तीसरे भाग में मौ लक अ धकार शा मल हैं।

अनुच्छेद **14** के अनुसार: राज्य भारत के क्षेत्र में कसी भी व्यक्ति को कानूनी समानता या कानून के समान संरक्षण से वं चत नहीं करेगा। यह प्रावधान महिलाओं सहित सभी व्यक्तियों पर लागू होता है। कानून के समक्ष समानता की गवाही दी जाती है।

धारा **15 (1)** के तहत: लंगवाद नि षद्ध है। ले कन कुछ मौ लक अ धकारों ने महिलाओं के अ धकारों की रक्षा के लए कुछ निश्चित प्रावधान कए हैं।

अनुच्छेद **14 (**ए**)**: इस धारा के अंतर्गत राज्य को महिलाओं और बच्चों के लए कोई वशेष प्रावधान बनाने से नहीं रोकेगा। इसका मतलब यह है क राज्य को इस प्रावधान के तहत महिलाओं के लए वशेष प्रावधान करने का अ धकार दिया गया है।

अनुच्छेद **15 (3)**: भारतीय सं वधान का अनुच्छेद 15 (3) राज्यों को मौ लक अ धकारों पर प्रतिबंधों को हटाकर महिलाओं के लए सामाजिक, आ र्थक और राजनीतिक समानता के लए वशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है। भारतीय सं वधान में महिलाओं के लए यह वशेष प्रावधान तथ्यों को जानने वालों द्वारा न्याय के लए भेदभावपूर्ण बताया गया है। धारा 15 द्वारा दिए गए प्रावधानों के अनुसार महिलाओं के वकास के लए महिलाओं के सद्धांतों की सुरक्षा के लये लए गए निर्णयों का उल्लंघन, चाहे वह कानूनी स्तर पर हो या प्रशासनिक रूप से, इन वशेष प्रावधानों की वैधता है। अदालत ने कई फैसलों को बरकरार रखा है। इन वशेष प्रावधानों का लाभ आपरा धक कानून, श्रम कानून, औद्यो गक कानून, रोजगार कानून, आपरा धक दंड प्र क्रया के क्षेत्रों में देखा जा सकता है। यह वशेष प्रावधान महिलाओं की छ व और आत्म वश्वास बढ़ाने के साथ-साथ महिलाओं को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से है।

राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1990 में हुई है। महाराष्ट्र राज्य ने जनवरी 1993 में महिला आयोग की स्थापना की और महाराष्ट्र सरकार ने जून 1993 में महिला और बाल वकास वभाग का एक स्वतंत्र वभाग स्था पत कया है। 1956 के हिंदू वरासत अ धनियम में, महाराष्ट्र सरकार ने जून 1993 में महिला और बाल वकास वभाग का एक स्वतंत्र वभाग स्था पत कया है। 1956 के हिंदू वरासत अ धनियम में, महाराष्ट्र सरकार 22/6/1994 से पैतृक संपत्ति में लड़ कयों और महिलाओं को जन्म का अ धकार दिया गया है।

अनुच्छेद **16:** भारत के सं वधान के अनुच्छेद 16 के अनुसार, सभी नागरिकों अर्थात महिलाओं को राज्य के अ धकार क्षेत्र में रोजगार से संबं धत मामलों में समान अवसर या कसी भी पद पर नियुक्ति होगी। इन या कन्हीं कारणों से राज्य के अ धकार क्षेत्र में निवास कसी भी नौकरी या पद के लए अयोग्य नहीं होगा, और न ही कसी भी तरह से भेदभाव कया जाएगा। अनुच्छेद 14 के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लए, अनुच्छेद 15 (3), 16 (2) को पूरक प्रावधान के रूप में प्रदान कया गया है। अनुच्छेद 15 (3) के अनुसार, महिलाओं के उत्थान के लए अच्छे कानून नहीं बनाए जा रहे हैं, महिलाएं सामाजिक और आ र्थक रूप से प्रभा वत हो रही हैं। उनकी समग्र प्रगति के लए वशेष कानून बनाए जाने की आवश्यकता है। नौकरियों में राज्य के आरक्षण ने महिलाओं को सामाजिक और आ र्थक न्याय दिलाने में मदद की है। स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाओं के लए सीटें आर क्षत करने का भी प्रावधान कया गया है।

शोषण के खलाफ अ धकार:

सं वधान के अनुच्छेद 23 के अनुसार, मनुष्य का व्यापार नहीं कया जा सकता है। जबरन श्रम (यानी, मजबूर श्रम) का अभ्यास नि षद्ध है। कसी को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। हमारे देश में वेश्यावृत्ति का तरीका बहुत पुराना है और इसमें वेश्यावृत्ति और इंसानों की खरीद-फरोख्त हो रही है। ले कन सं वधान के अनुच्छेद 23 के आधार पर, संसद ने अनैतिक व्यापार नवारण अ धनियम, 1956 लागू कया। अनैतिक व्यापार अ धनियम, 1956 के नषेध का मुख्य उद्देश्य वेश्यावृत्ति और मानव तस्करी के अन्य रूपों पर अंकुश लगाना है। महाराष्ट्र में, देवदासी नषेध अ धनियम के तहत, महिलाओं को देवदासी के रूप में हिंदू देवताओं को ब ल देने की मनाही है। ये प्रावधान राज्य को महिलाओं को समाज में सम्मान के साथ जीने के लए कई उपाय करने में सक्षम बनाते हैं।

अनुच्छेद **29 (2)** के अनुसार: कसी भी नागरिक को राज्य के आधार पर या धर्म, जाति, भाषा या कसी अन्य कारण से धन की सहायता से कसी भी शैक्ष णक संस्थान में प्रवेश से वं चत नहीं कया जाएगा। यह प्रावधान महिलाओं के शै क्षक वकास में मदद करता है। महिलाओं का शै क्षक वकास सं वधान द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करता है।

निर्देश सद्धांत और महिला:

नागरिकों की सामाजिक, राजनीतिक और आ र्थक स्थिति को बढ़ाने के लए राज्य को कुछ बुनियादी चीजें करनी होंगी। इस संबंध में, भारतीय राज्य के सं वधान में मार्गदर्शक सद्धांतों को शा मल कया गया है। नैतिकता का सद्धांत नैतिक महत्व का है और उनका कार्य कसी भी रूप में राज्य की प्रगति का मार्गदर्शन करना है। दिशानिर्देश में महिलाओं की स्थिति में सुधार और उनकी सुरक्षा के लए राज्य द्वारा कए गए कई सुझाव शा मल हैं।

अनुच्छेद **39 (अ):** पुरुषों और महिलाओं को निर्वाह के पर्याप्त साधनों का समान अ धकार होना चाहिए।

अनुच्छेद **39 (ड):** पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान काम के लए समान वेतन मलना चाहिए। राज्य ने इस नीति को एक उद्देश्य रूप देते हुए समान वेतन अ धनियम, 1976 पारित कया है।

अनुच्छेद **39 (ई):** पुरुष और महिला श्र मकों के स्वास्थ्य और शक्ति और बच्चों की कम उम्र का दुरुपयोग नहीं कया जाना चाहिए।

अनुच्छेद **42** के अनुसार: महिलाओं के लाभ के लए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान कया गया है। राज्य काम में और प्रसूति सहायता के लए न्याय और मानवीय परिस्थितियों के प्रावधान के लए प्रदान करेगा। इन मार्गदर्शक सद्धांतों को लागू करने के लए राज्य ने मातृत्व सु वधा अ धनियम, 1961 पारित कया है।

सं वधान के चौथे भाग के अनुच्छेद 39 अ, ड, ई और 42, 44 को देखते हुए, यह स्पष्ट है क वधायक इस बात से अवगत थे क महिलाओं को न केवल पुरुषों की समानता बल्कि वशेष सुरक्षा की भी आवश्यकता है। भारतीय सं वधान महिलाओं को काम के उ चत और मानवीय परिस्थितियों और मातृत्व सहायता के प्रावधान प्रदान करके उन्हें वशेष सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही, 51अ (ई) के अनुसार, ऐसी प्रथाओं को तोड़ना जो महिलाओं की गरिमा के लए हानिकारक हैं, मूल कर्तव्य में शा मल हैं।

जब क उपरोक्त व शष्ट प्रावधान सं वधान में महिलाओं के लए हैं, सं वधान के अन्य प्रावधान महिलाओं और पुरुषों के लए समान रूप से लागू होते हैं। इन महिलाओं के प्रावधानों को सं वधान में शा मल करने का उद्देश्य सामाजिक, आ र्थक, शैक्ष णक और राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं की प्रतिष्ठा को बढ़ाना था ता क उन्हें पुरुषों के समान माना जा सके और समाज में सम्मान के साथ जीवन जी सकें। वधायकों ने महिलाओं के लए वशेष प्रावधान करके उन्हें एक तरीके से सम्मानित कया है। ले कन महिलाएं अभी भी असमानता और अन्याय का अनुभव करती हैं।

महिलाओं के प्रति हिंसा रोकने के सरकार द्वारा कये गये व भन्न प्रावधान:

महिलाओं के प्रति कये गये अपराधों को रोकने हेतु भारतीय दण्ड संहिता व र्णत प्रमुख धाराएं नारी का शारीरिक, मान सक, सामाजिक, आ र्थक शोषण रोकने हेतु एवं समाज में महिलाओं की छबि को सुधारने हेतु पुरूषों के कुकर्मों को रोकने हेतु भारतीय दण्ड संहिता की निम्न वशेष धाराएं लागू की गई हैं –

दहेज मृत्यु (धारा **304** ख) -

ववाह के सात वर्ष के भीतर कसी स्त्री को जल जाने अथवा शारीरिक क्षति अथवा सामान्य परिस्थितियों से भन्न मृत्यु हो जाती है। यह द र्शत कया जाता है क मृत्यु से ठीक पहले उसके पति द्वारा अथवा पति के रिश्तेदारों द्वारा दहेज की मांग को लेकर परेशान कया गया था अथवा उसके साथ निर्दयतापूर्ण व्यवहार कया गया था तो उसे दहेज मृत्यु का जायेगा। इसके लए भारतीय दण्ड संहिता में धारा **304** ख में आजीवन कारावास का प्रावधान कया गया है।

बलात्कार (धारा **376**) -

कसी स्त्री की इच्छा के वरूद्ध या उसकी सहमति के बिना या उसे मृत्यु या चोट का भय बताकर सहमति प्राप्त करते हुये अथवा उसे उसका पति बताते हुये या यदि वह **16** वर्ष से कम आयु की है तो उसकी सहमति प्राप्त करके उसके साथ सहवास करना बलात्कार है। इसके लये धारा **376** में अ भयुक्त को आजीवन कारावास का प्रावधान कया गया है।

लज्जा भंग (धारा **354**) -

स्त्री का हाथ पकड़ना उसे नीचे गरा देना, निर्वस्त्र कर देना आदि लज्जा भंग के उदाहरण है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा **354** में इसे दो वर्ष तक की अव ध के कारावास का दण्डनीय अपराध घो षत कया गया

मान सक शारीरिक यातनाएं (धारा **498-**क) -

छोटी छोटी बातों को लेकर नारी को प्रता डत करना, उत्पी डत करना और उसके साथ निर्दयतापूर्ण व्यवहार करना। इसके लये भारतीय दण्ड संहिता की धारा **498** (क) के अन्तर्गत **7** वर्ष के कारावास का दण्डनीय अपराध है।

कन्या भ्रूण हत्या (धारा **312** से **318**) -

यह एक गैर जमानती अपराध है जिसमें माता पता, डाक्टर व इससे जुड़े अन्य व्यक्तियों की सजा का प्रावधान है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा **312** से **318** तक भ्रूण हत्या रोकने के लये कई दाण्डिक प्रावधान कये गये हैं। धारा **312** में यह व्यवस्था है क कोई व्यक्ति कसी स्त्री का जानबूझ कर गर्भपात करवाता है तो ऐसे व्यक्ति को तीन वर्ष के कारावास की सजा व जुर्माने से दण्डित कया जा सकता है।

छेडछाड़ (धारा **294**) -

यदि कोई व्यक्ति कसी सार्वजनिक स्थल पर अश्लील गाने, अश्लील हरकते अथवा अन्य कोई ऐसा कृत्य करता है जिससे महिला की भावना को ठेस पहुंचती है तो ऐसे व्यक्ति को भारतीय दण्ड संहिता की धारा **294** में तीन माह की सजा व जुर्माने का प्रावधान कया गया है।

अपहरण व वेश्यावृत्ति (धारा **363** से **373**) -

महिला की इच्छा के वरूद्ध उसका अपहरण कर ववाह, संभोग एवं वेश्यावृत्ति के लये अवयस्क लड़ कयों का क्रय- वक्रय करना भारतीय दण्ड संहिता की धारा **363** से **373** तक दण्डनीय अपराध घो षत कया गया है।

अप्राकृतिक सहवास (धारा **377**) -

जो कोई पुरूष कसी स्त्री या जीव जन्तु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के वरूद्ध स्वेच्छा इन्द्रिय योग करेगा। वह आजीवन कारावास से दस वर्ष तक सश्रम या साधारण कारावास से दण्डित कया जा सकेगा एवं जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

घरेलू हिंसा संरक्षण वधेयक (**2002, 2005**) -

इसके अन्तर्गत महिला के प्रति अत्याचार करने के परिणामस्वरूप एक वर्ष के कारावास की व्यवस्था की गयी है। घरेलू हिंसा संरक्षण वधेयक के अनुसार - "पी डत स्त्री के कसी नातेदार द्वारा उस पर आदतन प्रहार करना अथवा उसके जीवन को दुखदायी बताना अथवा उसे चोट या क्षति पहुंचाना या उसे अनैतिक जीवन बिताने के लये मजबूर करना, घरेलू हिंसा वाला आचरण माना जायेगा।"

राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कर महिलाओं के प्रति घटित हिंसा को रोकने के व्यावहारिक उपाय कये गये हैं।

कार्यस्थल यौन शोषण निवारण अ धनियम, **2013** -

भारत में काम करने और व्यापार करने वाली महिलाओं की संख्या आधुनिक समय में बढ़ रही है। इस स्थिति में, कार्यस्थल में पुरुषों द्वारा महिलाओं का यौन उत्पीड़न, शोषण या छेड़छाड़ भी बढ़ रहा है। इसे रोकने के लए, 2013 में कार्यस्थल अ धनियम में यौन शोषण निरोधक कानून बनाया गया है। एक वास्त वक तस्वीर यह है क यह कानून अभी भी भारत में कई कंपनियों, संस्थानों और प्रतिष्ठानों में लागू नहीं कया जा रहा है। कानून महिलाओं के साथ अश्लील बातचीत, शारीरिक संपर्क, यौन इशारों, छूने, वचारोत्तेजक भाषण देने, अश्लील तस्वीरें भेजने और इसी तरह का अपराधीकरण भी करता है।

कार्यस्थल में महिलाओं को यौन उत्पीड़न (निषेध और रोकथाम) अ धनियम, 2013 कहा जाता है, कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न के खलाफ महिलाओं की रक्षा करने के लए, इस तरह के उत्पीड़न को रोकने और यौन उत्पीड़न से संबं धत या संबं धत शकायतों के निवारण के लए। महिलाओं का यौन उत्पीड़न सं वधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत समानता के उनके मौ लक अ धकार का उल्लंघन है और अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के साथ जीने का अ धकार है, साथ ही साथ काम करने या व्यवसाय करने का अ धकार है जैसा वे चाहते हैं और यौन उत्पीड़न से मुक्त वातावरण है। साथ ही महिलाओं के यौन उत्पीड़न से सुरक्षा और गरिमा के साथ काम करने का अ धकार; यह अंतर्राष्ट्रीय चार्टर द्वारा महिलाओं के खलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के खलाफ मान्यता प्राप्त मानव

अ धकारों का भी उल्लंघन है। इस चार्टर की भारत द्वारा पुष्टि की गई है। इस लए, कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न के खलाफ महिलाओं की सुरक्षा के उपाय करना केंद्र सरकार के लए बाध्यकारी हो जाता है।

निष्कर्ष :

हमारे देश में महिलाओं के प्रति हिंसा को रोकने के लये वर्तमान कानूनों को व्यावहारिक दृष्टिकोण से यथार्थपरक ढंग से लागू करने की आवश्यकता है। इसमें कानून लागू करने वाले अ धकारियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन की आवश्यकता के साथ-साथ शो षत महिला के माता पता के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन की आवश्यकता है। जीवन का अन्तिम लक्ष्य ववाह नहीं कन्तु प्रसन्नता है। हमारे सांस्कृतिक वातावरण में हिंसा को सहन करना इतना गहरा बैठा है क न केवल अनपढ़, कम श क्षत और आ र्थक रूप से निर्भर स्त्रियाँ बल्कि कुलीन, उच्च श क्षत व आ र्थक रूप से आत्म निर्भर स्त्रियाँ भी कानूनी या पु लस संरक्षण नहीं लेती है।

सुझाव:

1) महिलाओं के प्रति पुरूषों के परम्परागत दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता की चेतना पैदा करना जरूरी है।
2) महिलाओं के स्वैच्छिक संगठनों को मजबूत करना आवश्यक है।
3) महिलाओं के लये शक्षा एवं प्र शक्षण कार्यक्रम पर वशेष ध्यान देना चाहिये।
4) अपराधी न्याय व्यवस्था में बदलाव ला कर कानून का उ चत कार्यान्वय करना चाहिये।

संदर्भ सूची :

1. वृन्दा संह, मानव वकास एवं पारिवारिक सम्बन्ध, चतुर्थ संस्करण(2011)
2. **Dr. B. R Ambedkar, The Constitution of India, Published by Government Of India**
3. **Ram Ahuja-Youth and Crime, Rawat Publications Jaipur-**1996
4. **R.J. Jellis-Ultimate Violence in Families Beverly Hills Publication-**1985
5. **M.P. Singh, Personality of Criminal, Shri Ram Publishers, Agra-**1973

वर्तमानपत्र : नवभारत, लोकमत, टाईम्स ऑफ इं डया

वेबसाइट :

- ***https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%93%E0%A4%82_%E0%A4%95%E0%A5%87_%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0***
- ***https://doj.gov.in/sites/default/files/Compandium.pdf***
- ***http://www.laado.org/***
- ***http://scert.cg.gov.in/dedodldistance201213/deddiststudyfirst2012/shalaaursamuday/adhyay3.pdf***
- ***http://www.fianindia.org/chapters/Rajasthan/human-rights-obligation.pdf***